

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 255 /इंदौर /2019

निर्धारण वर्ष : 2012-13

सेठ श्रीनारायण अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, इटारसी	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त (एकजंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएबीटीएस 3517 पी		

अपीलार्थी की ओर से	श्री अनिल खाब्या, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री के.जी.गोयल, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	10.02.2020
उद्घोषणा तिथि	02.03.2020

आदेश

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, भोपाल के आदेश दिनांक 14.01.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का

कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । इसके अतिरिक्त निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि निर्धारण अधिकारी ने भी निर्धारिती को संबंधित ब्यौरें तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं देकर एक पक्षीय आदेश पारित किया था । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अंततः यह अनुरोध किया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनों पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) इसी तरह निर्धारण अधिकारी ने भी एक पक्षीय आदेश पारित किए हैं जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, हम दोनों निम्न प्राधिकारियों के आदेशों को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । हालांकि हमने पाया कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के कई अवसरों पर उपस्थित नहीं हुआ है । अतः हम निर्धारिती को निदेश देते हैं कि वह टैक्स बार एट ट्रिब्यूनल, इंदौर को उपरोक्त व्यतिक्रम के लिए रु. 1000/- Cost के रूप में भुगतान करें । तत्पश्चात यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार नये सिरे से गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

आदेश 02.03.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है ।

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 02.03.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय
प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल